न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी : श्री राहुल सैनी, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
58/2013	दावा 88,188 RTA	13.06.2013	16.02.2022

1. हरूदान पुत्र गोमददान
2. खींवदान पुत्र हीरदान
3. राजूदान दत्तकपुत्र भंवरदान

जाति चारण निवासीगण खासोली तहसील वा जिला चूरू

—वादीगण—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू
2. उप निदेशक कृषि, जिला परिषद्, चूरू
3. मनोहरीकंवर बेवा गोमददान
4. सुन्दरकंवर
5. मदनकंवर — पुत्रियां गोमददान
6. हंसाकंवर
7. सजनाकंवर
8. दरियाकंवर — पुत्रियां भंवरदान

जाति चारण निवासीगण खासोली तहसील वा जिला चूरू

—प्रतिवादीगण—

दावाअन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए.

उपस्थित— 1. अधिवक्ता श्री ऋषिराजसिंह शेखावत वादीगण
2. पैरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

वादीगणकी ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 3 ता 8 एक ही परिवार के हैं तथा ग्राम खांसौली तहसील चूरू के निवासीगण हैं। यह कि कृषि भूमि साबिक ख.नं. 134,135,301,136, 221 एवं ख.नं. 229 कुल तादादी 280 बीघा 05 बिश्वा भूमि कच्चे बीघा की वाके रोही खांसोली तहसील चूरू वादीगण एवं गौण प्रतिवादीगण सं. 3 से 8 की पैतृक कृषि भूमि है। इस भूमि की खातेदारी लाडी बेवा चिमना महताबजी, गोरूराम, बक्सीराम पिसरान माहीदान 1/2 हिस्सा, कालूदान वा खेता पिसरान चे[illegible]दान पिसर मुतबन्ना मु. तरकी ब हिस्सा बराबर निवासीगण खांसोली तह[illegible] इस भूमि पर इनका ही कब्जा काश्त उपयोग उपभोग रहा था। प्रमाण स्वरूप जमाबंदी नकल संवत् 2012 [illegible]हाजा के साथ प्रस्तुत है।यह कि संयुक्त परिवार से अलग होने के बाद उपरोक्त कृषि भू[illegible] अलग अलग कर ली गई तथा साबिक ख.नं. 221 तादादी 90 बीघा 1 बिश्वा भूमि गोमददान पुत्र खेतदान के 1/3 हिस्सा, वादी सं. 2 खीवदान पुत्र हीरदान के 1/3 हिस्सा एवं गणपतदान पुत्र कालूदान के 1/3 हिस्सा बाहमी बंटवारे में रखी गई थी जिस पर इनका वा इनके वारिसान का कब्जा काश्त सदामत से चला आ रहा है। यही वादगत कृषि भूमि है। शेष खसरा की भूमि पर अन्य सहखातेदारों का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

यह कि गोमददान पुत्र खेतदान का देहांत हो चुका है जिसके वारिस वादी सं. 1 वा प्रतिवादीगण सं. 3 से 5 है तथा गणपतदान जी का भी देहान्त हो चुका है जिनके वारिस उनके एक पुत्र भंवरदान था जिसका भी देहांत होने के बाद भंवरदान के वारिस वादी सं. 3 एवं प्रतिवादीगण सं. 6 से 8 है। गणपतदान वा गोमददान का कुर्सीनामा दावा हाजा के साथ पेश है। यह कि कृषि भूमि साबिक ख.नं. 221 तादादी 90 बीघा 1 बिश्वा खाम रोही खांसोली के हाल पैमायश में नये ख.नं. 580 मिन कायम हुए है। जिसका रकबा पक्का बीघा में 54 बीघा है। खसरा बंदोबस्त की नकल दावा हाजा के साथ पेश की जा रही है।यह कि वादी सं. 2 ने तथा वादी सं. 1 वा 3 के पूर्वजों ने इस भूमि में संवत् 2013 में कृषि कार्य हेतु कुए का निर्माण करवाया था जो आज भी मौजूद है तथा कुएं पर पक्के ठांवात भी बनाए थे जो जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं। उन्नत कृषि तकनीक के लिए कुछ वर्षों तक कृषि विभाग के निर्देशन में बीज आदि की व्यवस्था कर काश्त किया करते थे तथा आज तक लगातार वादीगण का वा इनके पूर्वजों का कब्जा काश्त मौके पर चला आ रहा है तथा बाजरी मोठ मूंग ग्वार तिल आदि की खेती की जाती रही है।

यह कि वादीगण द्वारा कृषि विभाग की देखरेख में खेती किए जाने के कारण राजस्व कर्मचारियों ने इस भूमि का इंतकाल सं. 168 दिनांक 10.06.1960 को एग्रीकल्चर फार्म के नाम से ग्राम पंचायत खांसोली ने तस्दीक कर दिया तथा वादीगण वा उनके पूर्वजों का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटा दिया जिस बाबत ना तो वादीगण या इनके पूर्वजों की सहमति ली गई ना ही रिकॉर्ड में इंतकाल बाबत कोई सुनवाई वा सूचना ही दी गई। इसके पश्चात पैमायश संवत् 2024 से 27 के दौरान इस खेत की खातेदारी जोहड़ की ख.नं. 211 की भूमि को शामिल करते हुए नये ख.नं. 580 तादादी 166 बीघा 2 बिश्वा की फार्म एग्रीकल्चर विभाग के नाम से कायम कर दी गई तथा वर्तमान रिकॉर्ड में उक्त भूमि की खातेदारी बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के कृषि विभाग के अंधीन खेत फार्म कृषि विभाग के नाम से खातेदारी अंकित कर दी गई जो रिकॉर्ड बिल्कुल गलत, निराधार वा गैरकानूनी है। यह कि वादीगण वा उनके पूर्वजों ने इस भूमि को कभी भी कृषि विभाग को हस्तान्तरित नहीं किया था, ना ही कृषि विभाग इस भूमि की कानूनन खातेदार रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के मुताबिक कृषि भूमि का हस्तान्तरण सेल, विल या गिफ्ट के द्वारा ही हो सकता है। वादीगण के परिवार ने इस भूमि को कभी भी किसी दस्तावेज से हस्तान्तरित आज तक नहीं किया है तथा बिना हस्तान्तरण विलेख के वादीगण के खातेदारी अधिकार निरस्त कर प्रतिवादी सं. 2 को नहीं दिया जा सकता। वादीगण द्वारा दो तीन वर्ष तक कृषि विभाग से जानकारी लेकर काश्त करने एवं कुएं द्वारा सिंचाई करने के कारण गलतफहमी से प्रतिवादी सं. 1 के कर्मचारियों ने एग्रीकल्चर फार्म के नाम से गलत खातेदारी कायम कर दी जबकि एग्रीकल्चर फार्म कोई लीगल पर्सन नहीं होता है नाही ऐसे नाम से खातेदारी हो सकती है ना ही वादीगण की खातेदारी हटाई जा सकती है। इस प्रकार से इस वादगत कृषि भूमि की खातेदारी वादीगण की बजाय गलत रिकॉर्ड कायम कर दिया गया जो रिकॉर्ड आज तक गलत ही चल रहा है जिसके कारण वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि गलत रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाकर अपने नाम से खातेदारी की घोषणा करावे जिसके लिए यह दावा पेश किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:12 IST
Reason: SelfAttested

यह कि इंतकाल सं. 168 के द्वारा एग्रीकल्चर फार्म के नाम से जो तस्दीक किया गया है उसमें कलेक्टर साहब चूरू के आदेश दिनांक 05.05.59 के द्वारा ग्राम पंचायत खांसोली द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

इंतकाल तस्दीक किया गया है जबकि कलक्टर महोदय को वादीगण को बिना सुने वा बिना हस्तान्तरण विलेख के वादीगण के खातेदारी अधिकारों में परिवर्तन करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। वादीगण द्वारा सूचना के अधिकार के तहत इस संबंध में सूचना भी चाही गई थी मगर ऐसे किसी आदेश के उपलब्ध ना होने की जानकारी दी गई। इससे साबित है कि कलक्टर चूरू का ना तो ऐसा कोई आदेश ही था, ना ही उनको ऐसा आदेश करने का अधिकार ही प्राप्त था। इस प्रकार से कथित आदेश दिनांक 05.05.59 अवैध, अनाधिकारपूर्ण वा शून्य है तथा इस आधार पर वादीगण के अधिकार समाप्त नहीं किए जा सकते। इस प्रकार से इस कृषि भूमि का तमाम राजस्व रिकॉर्ड गलत वा अवैध है जिसे दुरूस्त कर वादीगण के नाम से खातेदारी की जानी आवश्यक है।यह कि वादीगण भोले भाले किसान है जिनको राजस्व रिकॉर्ड के बारे में कतई जानकारी नहीं रही है। वादीगण सदामत से अपनी खातेदारी मानकर इस भूमि को काश्त करते आ रहे हैं। अब के.सी.सी. बनवाने के लिए जमाबंदी की नकल प्राप्त की तब ज्ञान हुआ है कि रिकॉर्ड में गलत खातेदारी अंकित चल रही है और जानकारी के बाद यह दावा पेश कर रहे हैं।यह कि अब प्रतिवादीगण कृषि विभाग के नाम से खातेदारी दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाने के लिए वादीगण को बेदखल करने की धमकियां दे रहे हैं जबकि कृषि विभाग का इस भूमि से कोई संबंध सरोकार नहीं रहा है। इसलिए प्रतिवादीगण सं. 1 वा 2 को जरिए डिक्री हुक्म इम्तनाई द्वाम वर्जित किया जाना आवश्यक है कि वे वादीगण को बेदखल ना करें।

यह कि पैमाइश संवत् 2024 से 2027 के दौरान पुराना ख.नं. 211 वा 221 को मिलाकर नया ख.नं. 580 तादादी 166 बीघा 2 बिश्वा कायम किए गए हैं। इस खसरा की पूर्वी तरफ की 54 बीघा पक्की कृषि भूमि वादीगण के खातेदारी की भूमि है जो नक्शा से भी साबित है। इसलिए ख.नं. 580 में से पूर्वी तरफ की 54 बीघा भूमि की खातेदारी वादीगण अपने नाम से करवाना चाहते हैं। यह कि वादगत कृषि भूमि के रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाने हेतु वादीगण ने प्रतिवादीगण सं. 1 वा 2 को जरिए डाक रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस दफा 80 सी.पी.सी. दिनांक 06.03.13 को प्रेषित किया गया मगर अवधि दो माह से अधिक गुजर जाने के बावजूद प्रतिवादीगण सं 1 वा 2 द्वारा ऐसा नहीं किया गया इसलिए वादीगण को यह दावा पेश करना पड़ रहा है।यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण सं. 1 वा 2 को कहा व कहलवाया कि वादीगण की वादगत कृषि भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम से अंकित करवा देवें एवं वादीगण के कब्जे काश्त में दखल ना करें मगर प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे व आखिर दिनांक 07.06.13 को प्रतिवादीगण ऐसा करने से साफ इंकार हो गए लिहाजा यही तारीख विनाय मुखास्मत दावा है तथा विनाय दावा वादीगण को भूमि मजकूर का खातेदार काश्तकार होने से प्राप्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:12 IST
Reason: SelfAttested

यह कि निवास स्थान [illegible] भूमि अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में स्थित है इसलिए अदालतवाला को दावा हाजा के श्रवण का अधिकार प्राप्त है तथा दावा मुकर्रर शुदा कोर्ट फीस पर हर प्रकार से [illegible] हाजा पेश कर निवेदन है कि दावा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण नीचे लिखे अनुसार डिग्री फरमाया जावे:–

(क) घोषित किया जावे कि कृषि भूमि ख न 580 तादादी 166 बीघा 2 बिश्वा रोही खांसोली तहसील चूरू में पूर्वी तरफ की 54 बीघा भूमि वादी सं. 2 के 1/3 हिस्सा वादी सं. 1 वा प्रतिवादीगण सं. 3 से 5 के 1/3 हिस्सा वादी सं. 3 वा प्रतिवादीगण सं. 6 से 8 के 1/3

उपखण्ड अधिकारी चूरू

हिस्सा खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है तथा इसी के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जावे।

(ख) जरिए डिग्री हुक्म इम्तनाई द्वाम प्रतिवादीगण सं. 1 वा 2 को वर्जित किया जावे कि उंपरोक्त कृषि भूमि से वादीगण को बेदखल ना करें ना काश्त करने से रोकें ना अन्य ऐसा कार्य करें, जिससे वादीगण के हक हिस्से वा कब्जे काश्त पर विपरीत असर पड़े।

(ग) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(घ) अन्य न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादीगण हो या हो जावे वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

उप खण्ड अधिकारी राजस्थान

वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पैरोकार राज एवं प्रतिवादी सं. 2 स्वयं उपस्थित हुए। तत्पश्चात् पत्रावली शेष प्रतिवादीगण की तलबी में लम्बित रही। प्रतिवादी सं. 3 से 8 की ओर से श्री शिवगौतम सोलंकी एडवोकेट ने वकालतनामा एवं जवाबदावा इकबालदावा के रूप में पेश किया जिसमें वादीगण के दावा के मदों को स्वीकार करते हुए अंकित किया गया कि वादीगण का दावा यदि डिक्री किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। दावा डिक्री किया जावे। इकबालदावा शामिल पत्रावली किया गया, इसी तारीख पेशी पर पैरोकार राज ने सूची के संलग्न दस्तावेज पेश किये जो शामिल मिसल किये गये। दिनांक 14.10.14 को प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से जवाबदावा पेश किया जिसकी प्रति वकील वादीगण को दी जाकर शामिल मिसल किया गया।

प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अपने जवाबदावा में अंकित किया कि मद संख्या 1 दावा का जवाब जानकारी न होने से स्वीकार नहीं है। मद संख्या 2 अर्जीदावा में मुताबिक जमाबन्दी संख्या 2012 उपरोक्त प्रकार से खातेदारी का अंकन होना स्वीकार है मगर उक्त कृषि भूमि जिला कलेक्टर चूरू के आदेश दिनांक 05.05.1959 के द्वारा वादगत कृषि भूमि एग्रीकल्चर फार्म खांसोली के नाम से कर दी गई जिसकी खातेदारी इन्तकाल संख्या 168 दिनांक 10.06.1960 के द्वारा उक्त कृषि भूमि कृषि विभाग के अधीन की जा चुकी है। मद संख्या 3 दावा के तथ्य गलत होने से अस्वीकार किए जाते हैं। वादगत कृषि भूमि पर वादीगण का कब्जा अनाधिकृत है। मद संख्या 4 दावा के बाबत जानकारी न होने से अस्वीकार किया जाता है। इन तथ्यों को वादीगण साबित करें। मद संख्या 5 अर्जीदावा मुताबिक रिकार्ड सही अंकित किए गए हैं। मद संख्या 6 दावा के तथ्य गलत होने के कारण अस्वीकार किये जाते हैं। वादगत कृषि भूमि विभाग के अधीन है। मद संख्या 7 दावा गलत लिखा गया है। इन्तकाल संख्या 168 दिनांक 10.06.1960 के द्वारा उक्त भूमि ग्राम पंचायत खांसोली के द्वारा ए[illegible] फार्म के नाम से खातेदारी में की गई है जो जिला कलेक्टर चूरू के आदेश दिनांक 0[illegible] 19[illegible] के आधार पर सही दर्ज की गई है। मद संख्या 8 अर्जीदावा के तथ्य ग[illegible] अस्वीकार हैं। वादगत कृषि भूमि कृषि विभाग के अधीन रही है। फार्म द्वारा बारानी फसल जैसे शंकर बाजरा, जड़िया मोठ, मूंग, ग्वार आदि की खेती की जाती थी तदुपरान्त राज्य सरकार/कृषि विभाग की नीति के अनुसार कृषि विभाग का उक्त खांसोली कृषि फार्म पंचायत समिति चूरू के नाम हस्तान्तरित कर दिया गया था। इस प्रकार उक्त कृषि भूमि कृषि विभाग की रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

मद संख्या 9 अर्जीदावा में यह सही लिखा गया है कि वादगत कृषि भूमि जिला कलेक्टर चूरू के आदेश दिनांक 05.05.1959 के द्वारा एग्रीकल्चर फार्म को दी गई थी जिसका इन्तकाल संख्या 168 एग्रीकल्चर फार्म के नाम से स्वीकृत हो चुका है मगर उक्त आदेश काफी पुराना होने के कारण उपलब्ध नहीं हो रहा है। मद संख्या 10 दावा का सम्बन्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 से नहीं है, वादीगण स्वयं साबित करें। मद संख्या 11 दावा गलत होने से अस्वीकार हैं। वादीगण का कब्जा नाजायज है इसलिये प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 बेदखली की कार्यवाही करने में सक्षम हैं। मद संख्या 12 अर्जीदावा वादीगण स्वयं साबित करें। मद संख्या 13 दावा के तथ्य सही लिखे गये हैं। मद संख्या 14 कानूनी है। मद संख्या 15 के तथ्य स्वीकार हैं। अन्तिम मद इस्तदुआ वादीगण स्वीकार नहीं है दावा गलत प्रस्तुत किया गया है जो खर्चा सहित खारिज किया जावे। अतः जवाबदावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का दावा खारिज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाबदावा पेश होने पर दावा में निम्नांकित तनकियात् कायम की जाकर उभयपक्ष को समझाईश की गईः–

1. आया वादगत कृषि भूमि ख.नं. 134, 135, 301, 136, 221 एवं 229 कुल रकबा 280.05 बीघा रोही खासोली वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 8 की पैतृक कृषि भूमि है ?

–वादीगण–

2. आया वादी वादगत कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 221 हाल ख.नं. 580 मिन तादादी 54 बीघा के वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 8 की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की घोषित करवाने के हकदार है ?

–वादीगण–

3. आया वादगत कृषि भूमि का इंतकाल संख्या 168 दिनांक 10.06.1960 के द्वारा एग्रीकल्चर फार्म के नाम खातेदारी गलत दर्ज की गई है जिसे दुरूस्त करवाने के वादीगण हकदार हैं ?

–वादीगण–

4. आया वादगत कृषि भूमि पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखल नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को जरिये चिर स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने के वादीगण हकदार हैं ?

–वादीगण–

5. आया वादगत कृषि भूमि जिला कलक्टर महोदय चूरू के आदेश से कृषि विभाग के नाम सही रूप से खातेदारी दर्ज की गई है तथा वादगत कृषि भूमि पर वादीगण का कब्जा अनाधिकृत है ?

–प्रतिवादीगण–

6. अन्य अनुतोष ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:12 IST
Reason: SelfAttested

दावा में तनकियात कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी में रखी गई। साक्ष्यवादी में दिनांक 27.04.15 को गवाह हरूदान, रिछपाल, सुरेशकुमार एवं सांवलदान ने उपस्थित आकर साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। पैरोकार राज को गवाहान से जिरह हेतु काफी अवसर दिये जाने के बावजूद जिरह नहीं करने पर जिरह अवसर बन्द किया गया

उपखण्ड अधिकारी

तथा अन्य साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्वादी बन्द की जाकर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में नियत की गई। साक्ष्य प्रतिवादी में दिनांक 04.01.16 को प्रतिवादी सं. 3 से 8 की ओर से गवाह बीरबलराम, पन्नालाल एवं रामूराम ने उपस्थित आकर अपने बयान शपथ पत्र पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। तत्पश्चात् पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी जिरह में लम्बित रही।इसी दौरान वादी सं. खींवदान के फौत हो जाने पर दिनांक 28.12.16 को वकील वादीगण ने वादी सं. 2 का मृत्यु प्रमाण पत्र, कुर्सीनामा, प्रार्थना पत्र कायम मुकाम मय संशोधित टाईटल पेश किया जो शामिल पत्रावली किया जाकर अवलोकन किया गया। वकील वादीगण द्वारा वादी सं. 2 की मृत्यु दिनांक 17.12.16 को हो जाने के बाद निश्चित समय सीमा में उनका कायम मुकाम पेश किया है तथा सभी जायज वारिसान को कायम मुकाम बनाया गया है। इसलिए कायम मुकाम प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संशोधित टाईटल को पत्रावली के अवर में शामिल किया गया। इस दौरान प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं किये गये। वकील प्रतिवादी सं. 3 से 8 के और साक्ष्य पेश नहीं करने के कथन के बाद साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। पत्रावली काफी समय तक बहस में नियत रही।

❖ वकील वादीगण की ओर से दिनांक 20.04.21 को प्रार्थना पत्र आदेश 18 नियम 17 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का पेश कर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जिरह नहीं करने से वादीगण द्वारा पेश दस्तावेजात् को प्रदर्शित नहीं करवाया जा सका जिससे उक्त दस्तावेजात् साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हो सकते। वादीगण का दावा खातेदारी घोषणा एवं अपने गलत अंकित राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती के लिये पेश किया गया है। इसलिए दावा के रिजू विचारण व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना बाबत वादी हरूदान पुत्र गोविन्ददान की पुनः मुख्य परीक्षा साक्ष्य ली जाकर दस्तावेजों को रिकार्ड पर लेने की अनुमति दी जावे ताकि दावा का मेरिट पर निर्णय हो सके। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुना जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर साक्ष्यवादी हरूदान को रिकॉल करने का आदेश दिया गया। हरूदान की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिस पर साक्ष्य के बयान लेखबद्ध किये जाकर वादीगण द्वारा दावा के साथ पेश दस्तावेजात् को साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया गया तथा साक्ष्यवादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई। दावा पर वकील वादीगण एवं पैरोकार राज की बहस सुनी गई।

वकील वादीगण ने अपनी बहस में दावा में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए कथन किया कि सम्वत् 2012 से पूर्व से ही कृषि भूमि साबिक ख.नं. 134, 135, 301, 136, 221 एवं ख. नं. 229 कुल तादादी 280 बीघा 05 बिश्वा भूमि कच्चे बीघा की वाके रोही खासोली तहसील चूरू वादीगण एवं गौण प्रतिवादीगण सं. 3 से 8 की पैतृक कृषि भूमि है जो पहले उनके पूर्वजों के नाम से एवं बाद में वादीगण एवं प्रतिवादी सं [illegible] के खातेदारी व कब्जा काश्त में चली आ रही थी मगर उक्त कृषि भू[illegible] आदेश दिनांक 05.05.1959 के द्वारा वादगत कृषि भूमि एग्रीकल्चर [illegible] कर दी गई जिसकी खातेदारी इन्तकाल संख्या 168 रिकार्ड 10.06.1960 के द्वारा उक्त [illegible] भूमि कृषि विभाग के अधीन कर दी गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी खातेदार की खातेदारी बिना किसी सुनवाई का अवसर दिये या बिना कोई उचित मुआवजा दिये किसी अन्य पक्ष को नहीं दी जा सकती। उक्त कृषि भूमि श्रीमान् जिला कलक्टर, चूरू ने बिना किसी अधिकार के वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि एग्रीकल्चर फार्म के नाम कर दी। जिला कलक्टर, चूरू ने राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत उक्त कृषि भूमि कृषि फार्म के नाम खातेदारी में दर्ज की है जो दुरूस्ती के काबिल है। इसलिए वादीगण इस कृषि भूमि पर अपनी खातेदारी घोषित करवा कर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। कृषि विभाग से हमने उन्नत कृषि के लिए सहयोग प्राप्त कर दो तीन वर्ष तक कृषि कार्य किया था जिसके कारण मुगालते में उक्त गलत आदेश से गलत राजस्व रिकार्ड तैयार किया गया है। उक्त कृषि भूमि पर आज भी हमारा कब्जा काश्त है तथा अलग अलग सींव डालकर काश्त कर रहे हैं। उक्त कृषि भूमि पर वर्तमान में भी हमारे कब्जे को प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अपने जवाबदावा में स्वयं स्वीकार किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के मुताबिक कृषि भूमि का हस्तान्तरण सेल, विल या गिफ्ट के द्वारा ही हो सकता है। किसी भी खातेदार के खातेदारी अधिकार बिना किसी सुनवाई या मुआवजा दिये एकतरफा रूप से समाप्त नहीं किया जा सकते, जबकि इस प्रकरण में बिना किसी अधिकार के कानूनी प्रावधानों के विपरीत श्रीमान् जिला कलक्टर, चूरू के आदेश दिनांक 05.05.1959 के द्वारा वादीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त कर कृषि विभाग को खातेदारी दी गई है। साथ ही यह तथ्य भी गौर करने काबिल है कि जिस तथाकथित आदेश दिनांक 05.05.59 के द्वारा उक्त कृषि भूमि कृषि फार्म के नाम दर्ज की गई है वह आदेश जिला कार्यालय में उपलब्ध भी नहीं है तथा न ही ऐसी कोई पत्रावली ही मौजूद है जिसके निर्णय से उक्त प्रशासनिक आदेश जारी हुआ हो। किसी भी प्रशासनिक आदेश से खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते। इस प्रकार एग्रीकल्चर फार्म के नाम से दर्ज उक्त कृषि भूमि जो वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 3 से 8 की पैतृक खातेदारी कृषि भूमि है तथा जिस पर आज भी हमारा कब्जा काश्त बरकरार बदस्तूर चला आ रहा है एवं श्रीमान् जिला कलक्टर, चूरू द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश कानूनन रूप से अवैध एवं शून्य होने से हमारा दावा इस कृषि भूमि पर उचित है। हमने अपने दावा के समर्थन में साक्ष्य पेश किये हैं जिनसे काफी अवसर दिये जाने के बावजूद पैरोकार राज द्वारा कोई जिरह नहीं की गई है जिससे भी हमारा दावा पुष्ट होता है। अतः दावा वादीगण स्वीकार फरमाया जावे। अपने कथनों के समर्थन में वकील वादीगण ने राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग की अधिसूचना नं. एफ.9 (15) Rev-6/05pt./30 जयपुर दिनांक 18.10.12की छाया प्रति पेश की।

पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त कृषि भूमि माननीय जिला कलक्टर महोदय, चूरू के आदेश दिनांक 05.05.1959 की पालना में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 168 दिनांक 10.06.1960 के द्वारा एग्रीकल्चर फार्म खांसोली के नाम से दर्ज हुई है जिस पर कृषि विभाग ने काफी वर्षों तक कृषि कार्य किया है। कृषि विभाग के तत्समय कार्यरत कर्मचारियों ने भी उक्त तथ्य को अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है, कर्मचारियों को उक्त कृषि भूमि पर कृषि कार्य करने के एवज में दिये गये वेतन के बिल भी हैं जो पत्रावली पर उपलब्ध हैं। जहां तक आदेश दिनांक 05.05.59 का प्रश्न है, जो काफी समय पुराना आदेश होने के कारण काफी तलाश करने के बावजूद प्राप्त नहीं हुआ है, राजस्व रिकार्ड में कृषि फार्म के नाम से खातेदारी दर्ज है जो कि श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, चूरू के आदेश दिनांक 05.05.59 से सही रूप से खातेदारी दर्ज हुई है। वादीगण ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है जो अवैध कब्जे के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अतः दावा वादीगण खारिज किया जाकर वादीगण को वादगत कृषि भूमि से बेदखल करने का आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

वादीगण के अधिवक्ता एवं पैरोकार राज की बहस सुनी जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा पत्रावली, जवाबदावा, पेश दस्तावेजात् जमाबन्दी, गिरदावरी, मिलान क्षेत्रफल एवं पेश न्यायिक दृष्टान्त का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं वकील वादीगण व पैरोकार राज की बहस के तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत् 2012 ग्राम खासौली के ख.नं. 221 तादादी 90.01 बीघा में वादीगण के पूर्वज मु. लादी बेवा चिमना महताबजी गोरूदान बक्सीदान पिसरान माहीदान बहिस्सा बराबर निस्फ निस्फ कालूदान व खेता पिसरान चेलजी हीरादान पिसर मुतबन्ना मु. तरकी बहि. बराबर निस्फ चारन सा.देह खातेदार एवं काश्तकार दर्ज है। प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत् 2013 से 2016 ग्राम खासौली के ख.नं. 221 तादादी 90.01 बीघा में फार्म एग्रीकल्चर खातेदार अंकित है एवं विशेष विवरण के कॉलम में "देखो ई.नं. 168" अंकित है। प्रदर्श–3 नामान्तरकरण संख्या 168 दिनांक 10.06.60 ग्राम खासौली के खाना नं. 10 से 15 में उपरोक्त खातेदारों के साथ ख.नं. 221 तादादी 90.01 बीघा भूमि फार्म एग्रीकल्चर के नाम दर्ज अंकित है। सरपंच ग्राम पंचायत खासौली द्वारा उक्त नामा. तस्दीक किया गया है जिसके विवरण में अंकित है कि "आज यह इन्तकाल वास्ते तस्दीक पेश किया ख.नं. 221/90)1 बहुक्म दफ्तर साहब कलेक्टर चूरू ते.चूरू ता0 5.5.59 को फार्म एग्रीकलचर के नाम मंजूर हो चुका है अतः मुताबिक मंजूरी इन्तकाल कॉलम नं. 10 ता 15 तस्दीक किया जाना मंजूर है। ता0 10.06.60 । उक्त इन्तकाल के कॉलम नं. 14 में अंकित है कि हुक्म से चौकीना 2842 ता. 26.8.58 दफ्तर साहब कलेक्टर चूरू ते. चूरू ता. 5.5.59 । प्रदर्श–4 मिलान क्षेत्रफल ग्राम खासौली में वर्तमान वादगत ख.नं. 580 तादादी 166.02 बीघा पुराने ख.नं. 211 व 221 से बनना अंकित है।

प्रदर्श–5 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2006 से 2010 ख.नं. 221 तादादी 90.01 बीघा ग्राम खासौली के खातेदार के कॉलम में चतरू बशरह नम्बर 34 खुदकाश्त मुन्द्रजा खतोनी नम्बर 34 अंकित है, काश्तकार का कॉलम रिक्त अंकित है काश्त के कॉलम में गुवार, बाजरा, मोठ आदि की काश्त दर्ज है। प्रदर्श–6 खसरा गिरदावरी ख.नं. 221 सम्वत् 2011 से 2014 के कॉलम सं. 5 में जागीरदार के तौर पर चतरू बशरह ख.नं. 34 खुदकाश्त व कॉलम सं. 6 उप कृषक में मु. लादी वगैरा बशरह ख.नं. 34 खातेदार खुदकाश्त एवं कॉलम सं. 10 में बाजरी, मोठ व गुवार काश्त दर्ज है तथा कॉलम सं. 15 में खाली अंकित है, कॉलम सं. 18 में गुवार काश्त दर्ज है, कॉलम सं. 23 में पेड़ अंकित है, कॉलम सं. 32 में सियालू व उन्हाल बदस्तूर अंकित है, कॉलम सं. 34 में बा.मो., गुवार काश्त दर्ज है तथा सम्वत् 2014 कॉलम सं. 40 में गुलाबदान, खींवदान, गणपतदान, जोधदान, कालूदान हिस्सेदार सियालू उन्हालू बदस्तूर अंकित है। प्रदर्श–7 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2015–2016 के कॉलम सं. 5 में मु. लादी वगैरह बशरह नं. 34 अंकित है, कॉलम सं. 6 में गुलाबदान हिस्सेदार 20 बीघा, खींवदान हिस्सेदार 20 बीघा, गणपतदान हिस्सेदार 20 बीघा, जोधदान हिस्सेदार 20 बीघा, कालूदान हिस्सेदार 10.01 बीघा अंकित है कॉलम सं. 10 में बाजरा 20 बीघा व बा.मो. 12 बीघा, पेड़ 20 बीघा, गु0 20 बीघा, कॉलम सं.15 में शेष पड़त अंकित है, कॉलम सं. 16 में सियालू उन्हालू बदस्तूर अंकित है, कालम सं. 18 में बा.मो. 67.10 बीघा, मूंग 10 बीघा व कॉलम सं. 23 में शेष भूमि पड़त व गै.मु. अंकित है, कॉलम सं. 24 में सियालू फार्म एग्रीकल्चर व उन्हालू बदस्तूर अंकित है। प्रदर्श–8 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2017 से 2020 के ख.नं. 221 के कॉलम सं. 5 में राजस्थान सरकार व कॉलम सं. 6 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

फार्म एग्रीकल्चर, कॉलम सं. 10, 15, 18, 20, 26, 34 में काश्त बा.मो. चना, गुवार आदि काश्त दर्ज है। प्रदर्श– 9, प्रदर्श–10 व प्रदर्श–11 इसी ख.नं. 221 की खसरा गिरदावरी सम्वत् 2021 से 2024 व सम्वत् 2025 से 2028 व सम्वत् 2029–2030 में भी प्रदर्श–8 के अनुरूप प्रविष्टियां अंकित हैं। प्रदर्श–12 नकल नक्शा वर्तमान सन् 1968–69 ग्राम खासौली ख.नं. 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580 एवं प्रदर्श–13 नकल ख.नं. 211 व 221 ग्राम खासौली सम्वत् 1980 है। इसके अलावा जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 ग्राम खासौली के ख.नं. 580 तादादी 166.02 बीघा में कृषि विभाग के अधीन खेत फार्म कृषि विभाग दर्ज है।

प्रतिवादी सं. 2 कृषि विभाग की ओर से पेश दस्तावेजों का भी अवलोकन किया गया। विभाग द्वारा पत्र कमांक 971–74 दिनांक 06.08.2014 के संलग्न पेश एनकैशमेण्ट रजिस्टर जिसमें दिनांक 01.04.65 से 18.03.67 तक का इन्द्राज है तथा जिसमें तत्समय कार्यरत स्टाफ को दिया गया वेतन दर्ज है।कार्यालय उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद्, चूरू के पत्र कमांक 1359–62 दिनांक 28.06.13, जो निदेशक कृषि, कृषि निदेशालय, पंत कृषि भवन राजस्थान, जयपुर को लिखा गया है, का अवलोकन किया गया जिसमें वादीगण के अधिवक्ता द्वारा भिजवाये गये धारा 80 सीपीसी के नोटिस में अंकित वादगत ख.नं. 580 फार्म एग्रीकल्चर के नाम दर्ज होने की जानकारी पूर्व में नहीं होना अंकित करते इसके दावेदारों के खिलाफ कोर्ट में पैरवी करने हेतु वकील नियुक्त करने के लिए आवश्यक बजट उपलब्ध करवाने एवं आवश्यक मार्गदर्शन हेतु लिखा गया है। कार्यालय उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद्, चूरू के पत्र कमांक 261–63 दिनांक 01.05.13 में भंवरसिंह शेखावत एडवोकेट चेम्बर नं. 14, कोर्ट परिसर, चूरू द्वारा भिजवाये गये नोटिस का जवाब देकर अंकित किया है कि श्री मोहनलाल शर्मा सेवानिवृत्त उप निदेशक कृषि (विस्तार) चूरू जो पूर्व में इस कार्यालय के अधीनस्थ कार्यरत थे, से कृषि फार्म के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर आपको भिजवाई जा रही है। साथ ही जवाब में यह भी अंकित किया है कि ग्राम खासोली में जो कृषि विभाग का फार्म है उस पर आपके नोटिस में दर्शाये गये ग्रामवासियों ने अनाधिकृत कब्जा कर रखा है जो नियमानुसार अवैध है। तत्कालीन समय में दिनांक 07.07.1967 को पौध संरक्षण पर्यवेक्षक पद पर कार्यरत कार्मिक द्वारा उप निदेशक कृषि (विस्तार), चूरू के पत्र कमांक 231–36 दिनांक 18.04.2013 के जवाब में भिजवाये गये प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें उक्त कार्मिक ने अंकित किया है कि उक्त समय जिला कृषि अधिकारी श्री एन.पी. सिंघल एवं कृषि सहायक श्री ओमप्रकाश शर्मा थे। चर्चा के दौरान उससे पूर्व जिला कृषि अधिकारी श्री हरदेवसिंह चौधरी के कार्यकाल से ही यह फार्म संचालित था। अलग से एक कृषि स्नातक फार्म मैनेजर का पद था। फार्म पर बारानी खरीफ की फसलें जैसे संकर बाजरा, एच.एच.बी. 3, झकराना किस्म, मोठ जड़िया किस्म, स्थानीय मूंग, ग्वार आदि की खेती की जाती थी। उक्त [illegible] विभाग को आय होती थी। इस तरह के कृषि फार्म विभागीय योजनाओं के अनुसार [illegible] में भी थे। उस दौरान कार्यालय में एवं फार्म से सम्बन्धित अन्य कर्मचारी [illegible] श्री सुरजाराम व श्री सोहनलाल, स्व. श्री गुलाबसिंह चतुर्थ श्रेणी [illegible] सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनसे भी जानकारी हासिल की जा सकती है। खासौली कृषि फार्म प[illegible] कई दफा जिला कृषि अधिकारी चूरू के साथ एवं अकेले भी राजकीय दौरे पर निरीक्षण व फसल स्थिति के आंकलन, उन्नत कृषि विधियां अपनाने बाबत जाया करता था। यह कम कई वर्षों तक चला। विभाग की जीप की लॉगबुक से भी आंकलन किया जा सकता है। फार्म से सम्बन्धित कर्मचारियों जो अब सेवा निवृत्त हो चुके हैं,

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

से भी इन तथ्यों की पुष्टि की जा सकती है। पत्रावली पर उपनिदेशक कृषि (विस्तार) चूरू के पत्रांक 21–36 दिनांक 18.04.2013 के प्रत्युत्तर में पूर्व कार्मिकों श्री सुरजाराम च.श्रे.क. व सोहनराम तेतरवाल द्वारा भिजवाये गये पत्र में अंकित है कि मैं सोहनराम सेवा निवृत्त सहायक कर्मचारी ग्राम खासौली का रहने वाला हूं मेरी नियुक्ति खासौली कृषि फार्म पर हाली के पद पर दिनांक 10.10.1959 को हुई थी तथा मैं दिनांक 31.10.1998 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका हूं। मेरी प्रथम नियुक्ति उक्त कृषि फार्म पर ही हुई थी मैं खासोली फार्म पर हाली का कार्य (खेती जुताई) करता था मेरे समय पर उक्त फार्म पर एक फार्म मैनेजर, एक कनिष्ठ लिपिक एवं पांच हाली के पद स्वीकृत थे। जहां तक मेरी जानकारी है उक्त कृषि फार्म की 210 बीघा जमीन है जो वर्तमान में खासौली में मौजूद है उक्त जमीन पर पूर्व में तारबन्दी भी करवाई गई थी जो वर्तमान में पूरी तरह से टूट चुकी है तथा फार्म पर आफिस एवं कार्यालय के जो मकान बने हुए हैं वो भी पूरी तरह से टूट चुके हैं।

वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग की अधिसूचना नं. एफ.9 (15) Rev-6/05pt./30 जयपुर दिनांक 18.10.12 का भी ससम्मान अवलोकन किया गया जिसके द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1970 में संशोधन कर नियम 20 सी जोड़ा गया है, जो इस प्रकार से है–"20-C. Reversion of land surrendered for any public purpose.- Notwithstanding anything contained in these rules, any person who has surrenderd his tenancy rights, in favour of the State Government whithout any consideration or compensation for any public purpose and such land has not been utilized by the State Government for the said purpose within a reasonable time, may at any time apply to the Collector for reverting the land for the original use. The Collector, after considering the application, is satisfied thet such land has not been utilized for the said purpose, may pass an order for reversion in favour of applicant and on such reversion the status of the land shall be the same as it was before he had surrendered his tenancy rights."

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजों के अवलोकन एवं बहस के तथ्यों पर मनन के बाद दावा का निर्णय कायम की गई तनकियात् के आधार पर किया जाना उचित मानते निम्नानुसार तनकीवार निर्णय किया गया:–

<u>तनकी नं. 1</u> में वर्णित है कि "आया वादगत कृषि भूमि ख.नं. 134, 135, 301, 136, 221 एवं 229 कुल रकबा 280.05 बीघा रोही खासोली वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 8 की पैतृक कृषि भूमि है ?"

तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादीगण पर रहा है जिन्होंने दावा के साथ प्रदर्श–1 से प्रदर्श–13 तक दस्तावेजात् पेश किये हैं। वादीगण ने इस तनकी को साबित करने हेतु प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत् 2032 ग्राम खासोली ख.नं. 134, 135, 301, 136, 221 व 229 कुल तादादी 280 बीघा 5 विश्वा पेश की है जिसमें वादीगण के पूर्वज एवं उनके संयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों के नाम दर्ज हैं। उक्त जमाबन्दी में लादी बेवा चिमना महताबजी, गोरूराम, बक्सीराम पिसरान माहीदान 1/2 हिस्सा,कालूदान वा खेता पिसरान चेलजी, हीरादान पिसर मुतबन्ना मु. तरकी बहिस्सा बराबर निवासीगण खासोली के नाम दर्ज हैं। वादीगण के अनुसार संयुक्त परिवार से अलग होने के बाद उपरोक्त भूमियां अलग अलग कर ली गई तथा पुराने ख.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

नं. 221 तादादी 90 बीघा 1 विश्वा भूमि गोमददान पुत्र खेतदान के 1/3 हिस्सा, वादी सं. 2 खींवदान पुत्र हीरदान के 1/3 हिस्सा एवं गणपतदान पुत्र कालूदान के 1/3 बाहमी बंटवारे में रखी गई थी जिस पर इनका व इनके वारिसान का कब्जा काश्त सदामत से चला आ रहा है। यही वादगत कृषि भूमि है। शेष खसरों की भूमि पर अन्य सह खातेदारों का कब्जा काश्त चला आ रहा है। दावा की मद सं. 2 व 3 के साथ प्रदर्श–1 एवं साक्ष्य शपथ पत्र का अवलोकन करने से तनकी नं. 1 में अंकित सम्पूर्ण कृषि भूमि वादगत कृषि भूमि साबित नहीं होती है क्योंकि तनकी नं. 1 में तो ख.नं. 134, 135, 301, 136, 221 एवं 229 कुल रकबा 280.05 बीघा रोही खासोली की सम्पूर्ण कृषि भूमि वादगत कृषि भूमि अंकित है जबकि दावा की मद सं. 3 व साक्ष्य शपथ पत्र में वादगत कृषि भूमि पुराने ख.नं. 221 तादादी 90 बीघा 1 विश्वा को ही अंकित किया गया है। प्रदर्श–4 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादगत कृषि भूमि वर्तमान ख.नं. 580 तादादी 166 बीघा 02 विश्वा वादीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज रहे केवल पुराने खसरा नम्बर 221 से ही नहीं बना है बल्कि खसरा नम्बर 580 पुराने ख.नं. 211 व 221 दोनों को मिलाकर बना हुआ है। वादीगण ने भी अपने दावा के अनुतोष में केवल वर्तमान ख.नं. 580 तादादी 166.02 बीघा में से 54 बीघा की खातेदारी की मांग की है। ऐसी स्थिति में तनकी नं. 1 में अंकित सम्पूर्ण कृषि भूमि को वादगत कृषि भूमि नहीं माना जा सकता। इसलिए यह तनकी वादीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होती है।

<u>निर्णय</u> :– तनकी नं. 1 वादीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होती है। अतः वादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नं. 2</u> में वर्णित है कि "आया वादी वादगत कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 221 हाल ख.नं. 580 मिन तादादी 54 बीघा के वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 8 की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की घोषित करवाने के हकदार है ?"

तनकी नं. 2 को साबित करने का भार वादीगण पर रहा है जिन्होंने अपने दावा को साबित करने हेतु प्रदर्श–1 से प्रदर्श–13 तक दस्तावेजात् पेश किये हैं जिनमें से प्रदर्श–1 व 2 तथा प्रदर्श–5 से 7 से यह तो परिलक्षित होता है कि साबिक खसरा नम्बर 221 की खातेदारी व कब्जा काश्त तत्समय वादीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है परन्तु माननीय जिला कलक्टर महादेय, चूरू के आदेश दिनांक 05.05.59 के द्वारा साबिक खसरा नम्बर 221 ग्राम खासोली की खातेदारी एग्रीकल्चर फार्म के नाम दर्ज हुई तथा आज भी कृषि विभाग के अधीन खेत फार्म कृषि विभाग के नाम से दर्ज रिकार्ड है। इस कृषि भूमि पर कृषि विभाग द्वारा काफी समय तक उन्नत कृषि हेतु बीजोत्पादन किया गया है जिसकी पुष्टि प्रदर्श–4, प्रदर्श–7 से 11 के साथ वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 20[illegible] 580 तादादी 166.02 बीघा एवं कृषि विभाग की ओर से पेश एनकैशमेण्ट रजिस्[illegible]कालीन समय में विभाग में कार्यरत रहे कार्मिकों एवं अधिकारियों के [illegible] भूमि के साबिक खसरा नम्बर 221 वर्तमान ख.नं. 580 की [illegible] कलक्टर महोदय, चूरू के आदेश से कृषि विभाग के नाम दर्ज हुई है तथा आज भी कृषि [illegible]ाग के नाम दर्ज है। वादीगण द्वारा माननीय जिला कलक्टर, चूरू के उक्त आदेश को किसी भी सक्षम उच्चाधिकारी या किसी सक्षम न्यायालय में कोई चुनौती पेश करने का कोई दस्तावेज या साक्ष्य पेश नहीं किया है। कानूनन किसी भी उच्चाधिकारी या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किसी आदेश या निर्णय के खिलाफ

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

सुनवाई अधीनस्थ अधिकारी या अधीनस्थ न्यायालय नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर, चूरू द्वारा जारी आदेश के आधार पर दर्ज अंकन को निरस्त करने की अधिकारिता न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू को नहीं है। यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि वादीगण द्वारा अपने दावा के साथ जिला कलक्टर महोदय, चूरू के आदेश दिनांक 05.05.59 की कोई प्रति पेश नहीं की गई है जबकि दावा को साबित करने का भार वादीगण पर रहा है। इसलिए उक्त आदेश के अभाव में न्यायालय के समक्ष आदेश की प्रकृति स्पष्ट नहीं होती है तथा आदेश की प्रकृति समझे बिना आक्षेपित आदेश को निरस्त कर वादीगण को खातेदारी दिया जाना इस न्यायालय के लिए सम्भव नहीं है। इस प्रकार जिला कलक्टर, चूरू द्वारा जारी आदेश दिनांक 05.05.59 के आधार पर एग्रीकल्चर फार्म के नाम दर्ज ख.नं. 580 की कृषि भूमि को वादीगण अपने एवं प्रतिवादी सं. 3 ता 8 के नाम खातेदारी एवं कब्जा काश्त की घोषित करवाने के हकदार नहीं हैं। अतः तनकी नं. 2 वादीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होती है।

<u>निर्णय</u> :– तनकी नं. 2 वादीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होती है। अतः वादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नं. 3</u> में वर्णित है कि "आया वादगत कृषि भूमि का इंतकाल संख्या 168 दिनांक 10.06.1960 के द्वारा एग्रीकल्वर फार्म के नाम खातेदारी गलत दर्ज की गई है जिसे दुरूस्त करवाने के वादीगण हकदार हैं ?"

तनकी नं. 3 को साबित करने का जिम्मा वादीगण पर रहा है जिन्होंने इन्तकाल संख्या 168 दिनांक 10.06.1960 की प्रमाणित प्रति पेश की है, जो प्रदर्श–3 है। प्रदर्श–3 के अनुसार माननीय जिला कलक्टर, चूरू के आदेश दिनांक 05.05.1959 के द्वारा ग्राम खासोली के पुराने ख. नं. 221 तादादी 90 बीघा 1 विश्वा भूमि फार्म एग्रीकल्चर के नाम दर्ज हुई है। वादीगण के कथनानुसार वादीगण के परिवार ने इस भूमि को कभी भी किसी दस्तावेज से आज तक हस्तान्तरित नहीं किया है तथा बिना हस्तान्तरण विलेख के वादीगण के खातेदारी अधिकार निरस्त कर प्रतिवादी सं. 2 को नहीं दिया जा सकता। वादीगण द्वारा दो तीन वर्ष तक कृषि विभाग से जानकारी लेकर काश्त करने एवं कुएं द्वारा सिंचाई करने के कारण गलतफहमी से प्रतिवादी सं. 1 के कर्मचारियों ने एग्रीकल्चर फार्म के नाम से गलत खातेदारी कायम कर दी जबकि एग्रीकल्चर फार्म कोई लीगल पर्सन नहीं होता है ना ही ऐसे नाम से खातेदारी हो सकती है ना ही वादीगण की खातेदारी हटाई जा सकती है। साथ ही यह भी कथन किया गया है कि वादगत कृषि भूमि एग्रीकल्चर फार्म के नाम दर्ज करने से पूर्व वादीगण को न तो सुनवाई का कोई अवसर दिया गया एवं न [illegible]। दूसरी तरफ प्रतिवादी सं. 1 व 2 का कथन है कि यह कृषि भूमि श्रीमान् जिला [illegible] होदय, चूरू के आदेश दिनांक 05.05.59 से फार्म एग्रीकल्चर के नाम सही [illegible] भूमि कृषि विभाग के अधीन है। फार्म द्वारा बारानी फसल जैसे [illegible] ठ, मूंग, ग्वार आदि की खेती की जाती थी तदुपरान्त राज्य सरकार/कृषि विभाग की नी[illegible] के अनुसार कृषि विभाग का उक्त खांसोली कृषि फार्म पंचायत समिति चूरू के नाम हस्तान्तरित कर दिया गया था। इस प्रकार उक्त कृषि भूमि कृषि विभाग की रही है। वादीगण द्वारा आदेश दिनांक 05.05.59 पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है तथा तनकी नं. 1 व 2 वादीगण के खिलाफ निर्णित हो चुकी हैं। उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, चूरू के आदेश दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

05.05.1959 से यह कृषि भूमि फार्म एग्रीकल्चर के नाम दर्ज हुई है। उक्त आदेश काफी पुराना होने से पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है। आदेश मौजूद नहीं होने से आदेश की प्रकृति भी स्पष्ट नहीं होती है। चूंकि उक्त कृषि भूमि श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, चूरू के आदेश दिनांक 05.05.1959 के आधार पर हुई है तथा उक्त आदेश को किसी भी सक्षम उच्चाधिकारी या किसी सक्षम न्यायालय में कोई चुनौती पेश करने का कोई दस्तावेज या साक्ष्य वादीगण द्वारा पेश नहीं किया गया है। नियमानुसार किसी भी उच्चाधिकारी या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किसी आदेश या निर्णय के खिलाफ सुनवाई अधीनस्थ अधिकारी या अधीनस्थ न्यायालय नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर, चूरू द्वारा जारी आदेश के आधार पर दर्ज अंकन को निरस्त करने की अधिकारिता न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू को नहीं है। इसलिए जिला कलक्टर, चूरू द्वारा जारी आदेश के आधार पर एग्रीकल्चर फार्म के नाम दर्ज खातेदारी को इस न्यायालय से दुरूस्त करवाने के वादीगण अधिकारी नहीं हैं। तनकी नं. 3 वादीगण के पक्ष में साबित नहीं होती है।

निर्णय तनकी नं. 3:–तनकी नं. 3 वादीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होती है। अतः वादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 4 में वर्णित है कि "आया वादगत कृषि भूमि पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखल नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को जरिये चिर स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने के वादीगण हकदार हैं ?"

तनकी नं. 4 को साबित करने का भार भी वादीगण पर रहा है। दावा में कायम की गई तनकी नं. 1 से 3 वादीगण के खिलाफ निर्णित हो चुकी हैं। वादगत कृषि भूमि श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, चूरू के आदेश के आधार पर एग्रीकल्चर फार्म के नाम दर्ज हुई है तथा वादीगण द्वारा उक्त आदेश की अपील या चुनौती किसी सक्षम न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पेश नहीं की गई है, जिससे वादीगण का इस कृषि भूमि पर कब्जा काश्त अनाधिकृत कब्जे की श्रेणी में आता है। इसलिए वादीगण अपने अनाधिकृत कब्जे काश्त के आधार पर कब्जे काश्त में दखल नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को जरिये चिर स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने के हकदार नहीं हैं। इस प्रकार तनकी नं. 4 वादीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होती है।

निर्णय तनकी नं. 4:– तनकी नं. 4 वादीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होती है। अतः वादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 5 में वर्णित है कि "आया वादगत कृषि भूमि जिला कलक्टर महोदय चूरू के आदेश से कृषि विभाग के नाम [illegible] है तथा वादगत कृषि भूमि पर वादीगण का कब्जा अनाधिकृत है?"

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:12 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नं. 5 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर रहा है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा के साथ कृषि विभाग की ओर से पेश एनकैशमेण्ट रजिस्टर एवं तत्कालीन समय में विभाग में कार्यरत रहे कार्मिकों एवं अधिकारियों के पत्र पेश किये हैं जिनसे यह परिलक्षित होता है कि यह कृषि भूमि श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, चूरू के आदेश दिनांक 05.05.1959 से फार्म

उपखण्ड अधिकारी

एग्रीकल्चर के नाम दर्ज हुई है तथा वर्तमान में यह भूमि कृषि विभाग के अधीन है। एग्रीकल्चर फार्म द्वारा बारानी फसल जैसे शंकर बाजरा, जड़िया मोठ, मूंग, ग्वार आदि की खेती की जाती थी तदुपरान्त राज्य सरकार/कृषि विभाग की नीति के अनुसार कृषि विभाग का उक्त खासोली कृषि फार्म पंचायत समिति चूरू के नाम हस्तान्तरित कर दिया गया था। इस प्रकार उक्त कृषि भूमि कृषि विभाग की रही है। वादगत कृषि भूमि श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, चूरू के आदेश के आधार पर एग्रीकल्चर फार्म के नाम दर्ज हुई है तथा वादीगण द्वारा उक्त आदेश की अपील या चुनौती किसी सक्षम न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पेश नहीं की गई है, जिससे वादीगण का इस कृषि भूमि पर कब्जा काश्त अनाधिकृत कब्जे की श्रेणी में आता है। साथ ही दावा में कायम की गई तनकी नं. 1 से 4 भी वादीगण के खिलाफ निर्णित हो चुकी हैं। इसलिए तनकी नं. 5स्वतः ही प्रतिवादीसं. 1 व 2 के पक्ष में प्रमाणित होती है।

निर्णय तनकी नं. 5:– तनकी नं. 1 से 4 वादीगण के खिलाफ निर्णित होने से तनकी नं. 5 प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पक्ष में स्वतः ही प्रमाणित होती है। अतः प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

अन्य अनुतोष:–खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय

दावा में कायम की गई तनकी नं. 1 से 4 वादीगण के खिलाफ निर्णित होने से दावा वादीगण अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राहुल सैनी)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:12 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE. APPENDIX "D"-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.

1. हरूदान पुत्र गोमददान
2. खींवदान पुत्र हीरदान
3. राजूदान दत्तकपुत्र भंवरदान

} जाति चारण निवासीगण खासोली तहसील वा जिला चूरू

–वादीगण–

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू
2. उप निदेशक कृषि, जिला परिषद्, चूरू
3. मनोहरीकंवर बेवा गोमददान
4. सुन्दरकंवर } पुत्रियां गोमददान
5. मदनकंवर
6. हंसाकंवर
7. सजनाकंवर } पुत्रियां भंवरदान
8. दरियाकंवर

} जाति चारण निवासीगण खासोली तहसील वा जिला चूरू

–प्रतिवादीगण–

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए.</u>

मुकदमा नं. 58 सन् 2013

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्रीऋषिराजसिंह शेखावत एडवोकेट वादीगण मिनजानिब मुदईब व पैरोकार राज प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

दावा में कायम की गई तनकी नं. 1 से 4 वादीगण के खिलाफ निर्णित होने से दावा वादीगण अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 16 माह फरवरी सन् 2022 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:12 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल सैनी)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू